रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1998/चैत्र 13, 1920

No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1998/CHAITRA 13, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1998

सा.का.नि. 170 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश संशोधित), विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश)

संशोधित विनियम, 1998

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अनुच्छेद 28 की धारा (बी) और (ई) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मुंबई पत्तन का न्यासी मंडल एतद्द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1975 में निम्न संशोधन करता है,

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(i) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी, (अवकाश) संशोधन विनियम, 1998 कहलाये जाएंगे,

(ii) ये विनियम उनको सरकारी अनुमोदन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथी से लागू होंगे,

2 **मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (अवकाश) विनियम, 1975 में –**

(i) उप-विनियम (1) की धारा (बी) एवं विनियम 24 के उपनियम (3) में "180" अंकों के स्थान पर "240" अंक रखे जाएंगे,

(ii) विनियम 34 के उप-विनियम (1) में "180" अंकों के स्थान पर "240" अंक रखे जाएंगे,

(iii) वर्तमान विनियम 26 के बदले, निम्न का समावेश किया जाएगा-

विनियम 26, अर्ध-वेतन अवकाश

1. (ए) सेवा का प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारी 20 दिन अर्ध-वेतन अवकाश का हकदार होगा,

(बी) प्रत्येक कर्मचारी के अर्ध-वेतन अवकाश खाते में अवकाश हर कैलेंडर वर्ष में अग्रिम रूप से जमा होगा, जनवरी और जुलाई के पहले दिन, प्रत्येक 10 दिन की दो किश्तों में अवकाश जमा होगा,

(सी) उक्त अवकाश खाते में, कर्मचारी नियुक्ति के कैलेंडर वर्ष में उससे अर्ध-वर्ष के अंतर्गत, प्रत्येक कैलेंडर महीने की सेवा पूरी करने पर 5/3 दिन के हिसाब से छुट्टी जमा की जायेगी।

(डी) जिस अर्ध वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवा से त्यागपत्र देता है, उस अर्धवर्ष के लिये उसे अर्धवेतन अवकाश कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तिथि तक के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए 5/3 के हिसाब से जमा किया जायेगा,

(इ) जब कर्मचारी सेवा से निकाला या बरखास्त किया जाता है या सेवा में होते हुए उसकी मृत्यु होती है तब उसका अर्धवेतन अवकाश कर्मचारी जिस महीने में सेवा से निकाला जाता है या बरखास्त किया जाता है या सेवारत में होते हुए मृत होता है उस महीने के पहले वाले महीने तक के प्रत्येक कैलेंडर महीने के लिए 5/3 के हिसाब से जमा होगा,

(एफ) जहां अर्ध वर्ष के दौरान कर्मचारी की अनुपस्थिति या सेवासमाप्ति की अवधि में उसे "मृत नहीं" माना जाता है, तब अगले अर्ध वर्ष के प्रारंभ में उसके अर्ध-वेतन अवकाश खाते में जमा होने योग्य अर्ध-वेतन अवकाश में से "मृत नहीं" मानी गई अवधि के 1/18 दिन कम किये जायेंगे, बशर्ते कि घटायी जानेवाली अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होगी,

2. इस विनियम के अंतर्गत अवकाश वैद्यकीय प्रमाणपत्र देने पर या निजी मामलों के लिये मंजूर की जायेगी,

3. अर्ध-वेतन अवकाश जमा करते समय अपूर्ण दिन को नजदीक के पूर्ण दिवस में परिवर्तित किया जाए, प्रावधान है कि जो कर्मचारी स्थायी रूप से नौकरी में नहीं है, उसके मामले में अर्धवेतन अवकाश तभी दिया जायेगा, जब अवकाश मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि अवकाश समाप्त होने के बाद कर्मचारी काम पर वापस आयेगा, तथापि, अवकाश के दौरान यदि कर्मचारी को पोर्ट ट्रस्ट वैद्यकीय अधिकारी द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में आगे सेवा के लिये पूर्णतया एवं स्थायी रूप से अक्षमर्थ घोषित किया जाता है, तो उस मामले में उक्त शर्त लागू नहीं होगी,

4. यदि कर्मचारी सेवा का अर्ध वर्ष पूरा करने के दिन अवकाश पर है, तो वह काम पर वापस न आते हुए भी वह अर्धवेतन अवकाश का हकदार होता है,

(iv) वर्तमान विनियम 31 के बदले निम्न का समावेश किया जायेगा—

"31. अवकाश प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी को उतने दिन का निवृत्तिपूर्व अवकाश मंजूर कर सकता है, जितना अर्जित अवकाश उसे देय हो-परंतु ऐसा अवकाश देय अर्ध वेतन अवकाश को जोड़कर 240 दिन से अधिक न हो, इसके लिए शर्त यह होगी कि यह अवकाश निवृत्ति के दिन तक उस दिन को सम्मिलित करके जारी रहेगा",

टिप्पणी :—इस विनियम के अंतर्गत मंजूर अवकाश में असाधारण अवकाश का समावेश नहीं होगा,

(v) वर्तमान विनियम 32 के बदले निम्न बातों का समावेश किया जायेगा—

"32. सेवानिवृत्ति की या नौकरी छोड़ने की तिथि के उपरान्त का अवकाश-

(1) उप-विनियम (2) से (8) के प्रावधान के अलावा किसी भी कर्मचारी को निम्न बातों के उपरान्त अवकाश मंजूरी न किया जाए-

(ए) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि, या

(बी) उसकी अंतिम सेवा समाप्ति की तिथि, या

(सी) कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर सेवानिवृत्त होने की तिथि या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे नोटिस देकर सेवानिवृत्त कराने या ऐसी नोटिस के बदले उसकी सेवा शर्तों के अनुसार वेतन और भत्ते देकर निवृत्त कराने की तिथि;

(डी) उसके सेवा त्याग की तिथि,

(2) जब कर्मचारी ने उसकी सेवानिवृत्ति तिथि के पर्याप्त समय पहले—

(ए) उसे देय अवकाश निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप में आवेदन देता है और पूर्ण अवकाश या उसका कुछ हिस्सा नामंजूर किया जाता है, या

(बी) अवकाश प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह लिखित रूप में सूचित किया गया हो कि इस तरह के अवकाश के लिए आवेदन करने पर उसे नामंजूर किया जायेगा और ऐसा काम की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए किया गया हो, तो उस स्थिति में कर्मचारी को सेवानिवृत्ती की तिथि से उतने दिन का अवकाश प्रदान किया जा सकता है जो सेवानिवृत्ती के समय उसे देय था बशर्ते कि ऐसे अवकाश की अवधि विनियम 24 में यथा निर्धारित के अनुसार 120 दिन या 240 दिन से अधिक नहीं होगी, इसके लिए निम्न बातें-

(i) इस तरह मंजूर अवकाश-जिसमें सेवानिवृत्तपूर्ण अवकाश आरंभ होने की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि के बीच की अवधि में मंजूर अवकाश समाविष्ट है- की अवधि नामंजूर किय गये निवृत्तपूर्व अवकाश की प्रत्यक्ष अवधि से अधिक न हो,

(ii) यदि कर्मचारी ने सेवानिवृत्तिपूर्व अवकाश के रूप में अर्ध-वेतन अवकाश के लिए आवेदन किया हो; परंतु काम की अत्यावश्यकता के कारण वह नामंजूर किया गया हो तो उसे उतने दिन के अर्जित अवकाश में रूपांतरित किया जाएगा, इस तरह का रूपांतरित अवकाश उसे सेवानिवृत्ति के कारण सेवानिवृत्तिपूर्व अवकाश प्रारंभ होने की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि की अवधि के दौरान अर्जित हुआ हो,

टिप्पणी : सेवा में अनिवार्य रूप से रोक रखना या निवृत्तिपूर्व अवकाश से वापस बुलाया जाना उसे सेवानिवृत्तिपूर्व अवकाश की सुस्पष्ट नामंजूरी माना जायेगा,

(3) कर्मचारी को निलंबित होने के कारण सेवानिवृत्तिपूर्व अवकाश के लिए आवेदन करने से रोका गया हो और यदि उसे सेवानिवृत्ति तिथि से 120 या 240 दिन—जैसा मामला हो—पहले पुन: सेवा में लिया जाता है एवं जिस मामले में पुन: सेवा में लेने का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी निलंबन को सर्वथा अन्याय मानता है, तो कर्मचारी को आवेदन करने से रोके गये अवकाश का हकदार माना जायेगा, बशर्ते कि यह अवकाश विनिमय 24 में बतायेनुसार 120 या 240 दिन जैसा भी मामला हो—से अधिक नहीं होगा।

(4) जब कर्मचारी निलंबित रहते हुए ही सेवानिवृत्त हुआ हो और उसे निलंबित होने के कारण निवृत्तिपूर्व अवकाश के लिये आवेदन करने में रुकावट हुई थी और अगर उसके मामले में पुन:सेवा का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निलंबन को पूर्णत: अन्याय मानता है, तो उस कर्मचारी को उसके खाते में जमा उतना अवकाश लेने की मान्यता दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसे अवकाश की अवधि विनियम 24 में निर्धारित के अनुसार जैसा मामला हो, अधिक से अधिक 120 या 240 दिन, होगी, यदि ऊपर बतायेनुसार कर्मचारी को निवृत्तिपूर्व अवकाश लेने से रुकावट हुई थी, तो तत्संबंधी प्रक्रिया/कार्यवाही समाप्त होने के बाद यह अवकाश लिया जा सकता है।

(5) जब कर्मचारी की सेवा, उन सेवाओं की आवश्यकता देखते हुए अधिवर्षता के पश्चात् बढ़ायी गयी हो, तो उसे विनियम 24 में निर्धारित के अनुसार अधिक से अधिक 120 या 240 दिन, जैसा मामला हो का अवकाश निम्न प्रकार मंजूर किया जा सकता है—

(i) सेवा विस्तार अवधि के अंतर्गत, इस तरह के विस्तार से संबंधित देय अवकाश एवं आवश्यकतानुसार उतना अर्जित अवकाश, जो यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की नियत तिथि को सेवानिवृत्त हो गया होता तो उपविनियम (2) के अंतर्गत उसे दिया जा सकता था,

(ii) सेवा विस्तार अवधि की समाप्ति के बाद—

(ए) यदि वह सेवा निवृत्ति की नियत तिथि पर, सेवानिवृत्त होता, तो उसे उप-विनियम (2) के अंतर्गत जो अर्जित अवकाश देय होता, उतने दिनों में से सेवा विस्तार के दौरान किये गये अवकाश के दिन घटाकर बचे दिनों का अर्जित अवकाश,

(बी) यदि सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान ही कर्मचारी ने अंतिम सेवा समाप्ति पूर्व अवकाश के लिए पर्याप्त समय पहले आवेदन दिया हो और काम की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा अवकाश नामंजूर किया गया हो, तो सेवा विस्तार की अवधि के दौरान देय हुआ अवकाश।

(6) जिस कर्मचारी पर उप-विनियम (1) की धारा (सी) लागू होती है, उसे देय एवं ग्राहय अवकाश जिस तिथि को सेवानिवृत्ति होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है, उस तिथि के बाद प्रदान किया जा सकता है, परंतु यह अवकाश जिस तिथि को वह सेवानिवृत्ति या अर्धवार्षिता की उम्र पूरी करता है, उस दिन के उपरांत विस्तारित न हो,

प्रावधान है कि जिस कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते देकर सेवानिवृत्त कराया गया हो, वह जिस अवधि के लिए इस तरह का वेतन एवं भत्ता दिया गया है, उस अवधि के अंदर अवकाश के लिए आवदेन कर सकता है, यदि उसे अवकाश प्रदान किया जाता है, तो उसे जिस अवधि के लिए नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते दिए हैं उस अवधि को छोड़कर बाकी अवकाश अवधि का अवकाश वेतन दिया जाएगा।

टिप्पणी : कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की उम्र होने के बाद या उसे दी गयी सेवा विस्तार अवधि समाप्त के बाद किसी भी पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार (lien) समाप्त होगा।

(7) जब स्थायी रूप से सेवा में न होने वाले कर्मचारी की सेवा नोटिस देकर या नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते देकर या उसकी सेवा-शर्तों के अनुसार समाप्त की जाती है, तब उसे उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश दिया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अवकाश अधिकतम 120 दिन होगा, इस तरह का अवकाश उसकी सेवा समाप्त होने के दिन के बाद भी पूरा किया जा सकता है, यदि कर्मचारी स्वयं त्यागपत्र देता है या नौकरी छोड़ता है, तो उसे उसके खाते में जमा अवकाश के आधा अर्जित अवकाश—अधिक से अधिक 120 दिन—मंजूर किया जा सकता है,

यह प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति के बाद पुन: नियुक्ति किये गये कर्मचारी के अलावा अन्य ऐसे कर्मचारी को इस प्रकार मंजूर अवकाश उसकी सेवानिवृत्ति के दिन के बाद विस्तारित न हो।

(8) उप-विनियम (5) की धारा (1) और उस उप-विनियम की धारा (2) की उप-धारा (ए) को छोड़कर उस विनियम के अंतर्गत अन्यथा मंजूर अवकाश को अंतिम (टर्मिनल) अवकाश माना जाएगा, उसे सेवा विस्तार नहीं समझा जाएगा,

(vi) विनियम 32 के बाद निम्न बातों को विनियम 32ए के रूप में शामिल किया जाय—

"32ए सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने की तिथि के उपरांत अवकाश के बदले नगद भुगतान—

(1)(ए) जब कर्मचारी उसकी सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित उम्र का होने पर सेवानिवृत्त होता है, तब अवकाश मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी खुद (suo moto) आदेश जारी करके कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के दिन उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश—यदि हो तो—अवकाश के समतुल्य नगद भुगतान प्रदान करेगा। जमा अवकाश के बदले नगद भुगतान अधिकतम 240 दिन के लिए दिया जा सकता है,

(बी) धारा ए के अंतर्गत समतुल्य नगद राशि एक समय समायोजन के रूप में दी जाएगी,

(2) कोई कर्मचारी निलंबित होते हुए या उसके विरुद्ध अनुशासनिक या अपराधिक कार्यवाही जारी होते हुए सेवानिवृत्त उम्र होने के कारण सेवानिवृत्त होता है और यदि अवकाश मंजूर करने वाले प्राधिकारी की दृष्टि से कर्मचारी के विरुद्ध चलायी जाने वाली कार्यवाही की समाप्ति उससे कुछ राशि की वसूली की संभावना है, तो ऐसा प्राधिकारी कर्मचारी को देय अर्जित अवकाश के समतुल्य नगद का पूरा या आंशिक भुगतान रोक सकता है, कार्यवाही पूरी होने के बाद पोर्ट ट्रस्ट देय—यदि हो—का समायोजन किया जाएगा, तत्पश्चात् कर्मचारी उक्त प्रकार रोकी गयी राशि प्राप्त कर सकेगा;

(3)(ए) जब सेवावश्यकता के कारण कर्मचारी की सेवा उसके सेवानिवृत्ति दिन के पश्चात बढ़ायी गयी हो, तो उसे निम्न प्रदान किया जा सकता है—

(i) विस्तार अवधि के अंतर्गत इस प्रकार विस्तार अवधि से संबंधित देय अर्जित अवकाश और उसकी सेवानिवृत्ति के दिन पर उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश, बशर्ते कि यह अवकाश अवधि विनियम 24 में निर्धारित अनुसार अधिकतम 120 या 240 दिन मान्य होगी,

(ii) सेवा विस्तार अवधि की समाप्ति के बाद कर्मचारी के खाते में सेवानिवृत्ति के दिन पर जमा अर्जित अवकाश के लिए उप-विनियम (2) में बतायेनुसार उसका समतुल्य नगद भुगतान और विस्तार अवधि के दौरान जमा हुए देय अर्जित अवकाश में से उस अवधि में लिया गया अर्जित अवकाश को घटाकर जितना अवकाश बचे, उसकी समतुल्य राशि, बशर्ते कि ऐसा नगद भुगतान अधिकतम 240 दिन अवकाश अवधि के लिए किया जाएगा,

(बी) इस उप-विनियम की धारा (ए) की उपधारा (ii) के अंतर्गत देय समतुल्य राशि का हिसाब उपर्युक्त उप-विनियम (i) की धारा (बी) में बतायी पद्धति से किया जाएगा,

(4) जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या उप-विनियम (i) की धारा (सी) में उल्लेखित पद्धति सेवानिवृत्त कराया जाता है, उसे अवकाश मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश अधिकतम 240 दिन तक और उसके खाते में जमा सारे अर्ध-वेतन अवकाश के बदले अवकाश वेतन की समतुल्य राशि मंजूर की जा सकती है, परंतु प्रावधान है कि अवकाश वेतन की यह अवधि कर्मचारी की इस तरह से सेवानिवृत्ति होने या सेवानिवृत्त कराने की तिथि और यदि कर्मचारी उसकी सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित उम्र होने पर जिस तिथि को सेवानिवृत्त होता, उस तिथि के दरम्यान के अवधि से अधिक न हो, समतुल्य नगद राशि अर्जित अवकाश और/अथवा अर्धवेतन अवकाश के लिए यथा देय अवकाश वेतन की समतुल्य होगी तथा उस अवकाश वेतन के पहले 240 दिनों के लिए उस पर देय मंहगाई भत्ता भी देना होगा, महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारी के

सेवानिवृत्त होने या कराये जाने की तिथि पर प्रचलित दरों से किया जाएगा, यदि कोई अर्ध-वेतन अवकाश है, तो उसके लिए समतुल्य राशि देय है, इसलिए उस अर्धवेतन अवकाश संबंधी अवकाश वेतन राशि मे निवृत्ति वेतन तथा उस पर पेंशन समतुल्य अन्य निवृत्ति लाभ राशि की कटौती की जाएगी, इस तरह परिकलित राशि एक समय का भुगतान के रूप में एक मुश्त अदा की जाएगी, आवास किराया भत्ता एवं नगर प्रतिपूरक भत्ता देय नहीं होगा,

प्रावधान है कि यदि अर्धवेतन अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन पेंशन एवं अन्य पेंशन लाभों से कम होता है, तो अर्ध-वेतन अवकाश के समतुल्य राशि प्रदान नहीं की जाएगी;

(5) जब कर्मचारी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन) विनियम, 1976 के प्रावधान के अंतर्गत दंड के रूप में अनिवार्यता सेवानिवृत्त कराया गया हो और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट निवृत्ति वेतन नियम 8 के अंतर्गत उसके पेंशन में कोई भी कटौती नही की गयी हो, तो अवकाश मंजूरी करने वाला सक्षम प्राधिकारी एक आदेश जारी करके कर्मचारी के खाते में इस तरह की सेवानिवृत्ति की तिथि पर यदि कोई अर्जित अवकाश जमा हो, तो उसके लिए अवकाश वेतन के समतुल्य राशि मंजूर करेगा, बशर्ते कि (उपविनियम (2) की धारा (बी) में उल्लिखित प्रकार से) यह व्यवस्था अधिक से अधिक 240 दिन तक की अवकाश अवधि के लिए लागू होगी,

(6)(ए)(i) जब कर्मचारी की सेवा नोटिस देकर या नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते देकर या उसकी नियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुसार अन्यथा समाप्त की जाती है, तो अवकाश मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को सेवा समाप्ति के दिन पर उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के समतुल्य राशि मंजूर की जाएगी, बशर्ते कि यह सुविधा अधिक से अधिक 240 दिन तक की अवकाश अवधि भुगतान राशि तक सीमित होगी,

(ii) यदि कर्मचारी त्यागपत्र देता है या नौकरी छोड़ता है, तो अवकाश मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को उसके सेवासमाप्ति के दिन उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के आधे दिनों की अधिकतम 120 दिन समतुल्य राशि मंजूर की जाएगी,

(iii) जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पुन:सेवा में नियुक्त किया हो, उसे पुन:सेवा नियुक्ति अवधि समाप्त होने पर अवकाश मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी की पुन: नियुक्ति सेवा समाप्त होने के दिन उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के लिए समतुल्य राशि को मंजूर की जाएगी बशर्ते कि यह अवधि अधिकतम 240 दिन होगी, उसमें सेवानिवृत्त के समय जिस अवधि के नगदीकरण को मान्यता दी हो, वह अवधि भी समाविष्ट हैं,

(बी) उपर्युक्त धारा (ए) के अंतर्गत देय समतुल्य राशि का हिसाब उप-विनियम (2) की धारा (बी) में उल्लेखित पद्धति से किया जाए एवं धारा (ए) की उप-धारा (iii) के अंतर्गत समतुल्य देय राशि के हिसाब के लिए पुन:नियुक्ति की समाप्ति तिथि का वेतन होगा- पेंशन समायोजन के पूर्व पुन:सेवा पर वेतन श्रेणी में सुनिश्चित किया गया वेतन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के समतुल्य पेंशन एवं उसके सभुचित महंगाई भत्ता,

(vii) वर्तमान विनियम 32ए को पुन:क्रमांकित कर 32वी करें,

(viii) विनियम 33 अवकाश वेतन में-

(ए) उप-विनियम (1) में वर्तमान टिप्पणी हटाकर उसके बाद टिप्पणी के रूप में निम्नलिखित शामिल किया जाये :

टिप्पणी : भारत के बाहर विदेश सेवा में बितायी गयी किसी भी अवधि के संबंध में अवकाश वेतन का हिसाब करते समय कर्मचारी भारत के बाहर विदेश सेवा में नहीं होता, तो भारत में काम पर होता और जो वेतन पाता - के बदले "वास्तविक रूप से प्राप्त वेतन" यह वाक्यांश शामिल किया जाए,

(बी) वर्तमान उप विनियम (6) के बदले निम्न शामिल किया जाए

(6) यदि ऐसी पुन:नियुक्ति के दौरान कर्मचारी को उसकी पुन:नियुक्ति अवधि के लिए देय अवकाश मंजूर किया हो, तो अवकाश वेतन, उसके निवृत्ति वेतन और अन्य पेंशन लाभ के समतुल्य पेंशन को छोड़कर उसे दिये गये वेतन पर आधारित होगा,

(ix) प्रथम अनुसूची की तालिका के स्तंभ (2) में -

(ए) अनुक्र. 1 में वेतन श्रेणी जिसका अधिकतम 1900 रुपये पर (भत्तों को छोड़कर) के ऊपर है इन शब्दों और संख्या के स्थान पर प्रवर सहायक सचिव या समकक्ष पद की वेतन श्रेणी का अधिकतम रखे जाएंगे,

(बी) अनुक्र. 2 में वेतन श्रेणी जिसका अधिकतम 1900 रुपये (भत्तों को छोड़कर) से अधिक नहीं हो इन शब्दों को और संख्या के स्थान पर उपर्युक्त अनुक्र. 1 के अंतर्गत आनेवाले पद ये शब्द लिये जाएंगे,

(सी) अनुक्र. 3 में वेतन श्रेणी जिसका अधिकतम 800 रुपये (भत्तों को छोड़कर) से ऊपर है ये शब्दों और संख्या के स्थान पर कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद की वेतन श्रेणी का अधिकतम शब्द रखे जाएंगे,

(डी) अनुक्र. 4 में वेतन श्रेणी जिसका अधिकतम 800 रुपये (भत्तों को छोड़कर) से अधिक नहीं है इन शब्दों और संख्या के स्थान पर उपर्युक्त अनुक्र. 3 के अंतर्गत न आनेवाले पद ये शब्द रखे जाएंगे,

[फा.सं. पी.आर. 12016/44/94-पीई-1]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल विनियम महाराष्ट्र राज्य के राजपत्र में दिनांक 21-8-75 को प्रकाशित किए गए तथा दिनांक 10-5-80 तथा 17-1-81 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3 April, 1998

GSR 170 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section-(1) of Section 124, read with sub-section (1) of 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees (Leave) Regulations, 1998——made by the Board of Trustees for the Port of Mumbai——and set out in the schedule annexed to this notification.

2 The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Mumbai Port Trust Employees (Leave)

Amendment Regulations, 1998.

In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mumbai hereby make the following regulations further to amend the Bombay Port Trust Employees (Leave) Regulations 1975, namely :

1 Short title and commencement :—

(i) These regulations may be called the Mumbai Port Trust Employees (Leave) Amendment Regulations, 1998.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication of the approval of the Government in the Gazette of India.

2 In Mumbai Port Trust (Leave) Regulations, 1975.

(i) In clause (b) of sub-regulation (1) and in sub-regulation (3) of Regulation 24 for the figure "180" the figure "240" shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (i) of Regulation 34, for the figure "180" the figure "180" the figure"240" shall be substituted.

(iii) for the existing Regulation 26, substitute the following :

"Regulation 26, Half Pay Leave—

(1) (a) An employee shall be entitled to half-pay leave of 20 days in respect of each completed year of service.

(b) The half-pay leave account of every employee shall be credited with half-pay leave in advance, in two installments of 10 days each on the first day of January and July of every calendar year.

(c) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service which an employee is likely to render in the half-year of the calendar year in which he is appointed.

(d) The credit for the half-year in which an employees is due to retire or resigns from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation.

(e) When an employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of half-Pay leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month upto the end of the calender month preceding the calender month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.

(f) Where a period of absence or suspension of an employee has been treated as "dies non" in a half-year, the credit to be afforded to his half-pay leave account at the commencement of next half year, shall be reduced by 1/18th of the period of "dies non" subject to a maximum of 10 days.

(2) The leave under this regulation may be granted on medical certificate or on private affairs.

(3) While affording credit of half-pay leave, fraction of a day shall be rounded off to the nearest day :

Provided that in the case of an employee not in permanent employ, no half-pay leave shall be granted unless the authority competent to grant leave has reasons to believe that the employee will return to duty on its expiry except in the case of an employee who has been declared completely and permanently incapacitated for further service by a Port Trust Medical Officer.

(4) If an employee is on leave on the day on which he completes a half year of service, he shall be entitled to half-pay leave without having to return to duty.

(iv) For the existing Regulation 31, the following shall be substituted;

"31. An employee may be permitted by the authority competent to grant leave to take leave preparatory to retirement to the extent of earned leave due, not exceeding 240 days together with half-pay-leave due, subject to the condition that such leave extend upto and includes the date of retirement.

Note : The leave granted under this regulation shall not include extraordinary leave."

(iv) For the existing Regulation 32, the following shall be substituted :

"32. Leave beyond the date of retirement or quitting of service—

(1) Except as provided in sub-regulations (2) to (8), no leave shall be granted to an employee beyond---

(a) the date of his retirement, or

(b) the date of his final cessation of duties, or

(c) the date on which he retires by giving notice to the appointing authority or he is retired by the appointing authority by giving him notice, or pay and allowances in lieu of such notice in accordance with the terms and conditions of his service, or

(d) the date of his resignation from service.

(2) Where an employee has, in sufficient time before the date of his retirement—

(a) applied formally for leave due as preparatory to retirement and the leave has been refused in whole or in part, or

(b) ascertained in writing from the authority competent to grant leave that such leave if applied for would not be granted.

On account of the exigencies of service, then he may be granted from the date of retirement the amount of earned leave which was due to him on the said date of retirement subject to the maximum limit of 120 days or 240 days, as the case may be , as prescribed in regulation 24, so long as--

(i) the leave so granted, including the leave granted to him between the date from which the leave preparatory to retirement was to commence and the date of retirement does not exceed the amount of leave preparatory to retirement actually denied.

(ii) the half-pay leave, if any, applied for by him as leave preparatory to retirement and denied in the exigencies of service, being exchanged with earned leave to the extent such leave was earned between the date from which the leave preparatory to retirement was to commence and the date of retirement.

Note : Compulsory retention in service or recall from leave preparatory to retirement shall be treated as constructive refusal of leave preparatory to retirement

(3) When an employee who had been prevented from applying for leave preparatory to retirement by reason of having been under suspension, is reinstated within 120 or 240 days, as the case may be, preceding the date of retirement and in whose case the authority competent to order reinstatement holds that the suspension was wholly unjustified, he shall be allowed to avail himself of such leave as he was prevented from applying for, subject to a maximum of 120 or 240 days, as the case may be, as prescribed in regulation 24.

(4) Where an employee who retired from service while under suspension was prevented from applying for leave preparatory to retirement on account of having been under suspension and in whose case the authority competent to order reinstatements holds that the suspension was wholly unjustified, he shall be allowed to avail himself of leave at his credit subject to a maximum of 120 or 240 days, as the case may be, as prescribed in regulation 24, after the termination of proceedings as if it had been refused as aforesaid.

(5) Where the service of an employee has been extended in the interest of service beyond the date of his superannuation, he may be granted earned leave, subject to a maximum of 120 or 240 days as the case may be , as prescribed in regulation 24, as follows;

(i) during the period of extension, any earned leave due in respect of the period of such extension and, to the extent necessary, the earned leave which could have been granted to him under sub-regulation (2) , had he retired on the date of retirement;

(ii) after the expiry of the period of extension—

(a) the earned leave which could have been granted to him under sub-regulation (2) had he retired on the date of retirement reduced by the amount of such leave availed of during the period of extension; and

(b) any leave earned during the period as has been applied formally for as preparatory to final cessation of his duties in sufficient time during the extension and refused to him on account of the exigencies of service.

(6) An employee to whom clause (c) of sub-regulation (1) applied, may be granted leave due and admissible to him which may extend beyond the date on which he retires or is retired from service, but not extending beyond the date on which he attains the age of retirement or superannuation :

Provided that an employee who is retired by the appointing authority by giving him pay and allowances in lieu of notice may apply for leave within the period for which such pay and allowances were given, and where he is granted leave the leave salary shall be allowed only for the period of leave excluding that period for which pay and allowances in lieu of notice have been allowed.

Note : An employee on attaining the age of retirement or on the expiry of such extension of service as may be granted to him thereafter shall cease to have any lien on any post.

(7) Where the services of an employee not in permanent employ is terminated by notice, or by payment of pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted earned leave to his credit, subject to maximum of 120 days, even though such leave extends beyond the date on which he ceases to be in service. If the employee himself resign or quits service, he may be granted earned leave to the extent of half of such leave to his credit subject to a maximum of 120 days :

Provided that the leave so granted to such employee, other than an employee re-employed after the date of retirement, does not extend beyond the date of his retirement.

(8) The grant of leave under this regulation except under clause (I) of sub-regulation (5) and sub-clause (a) of clause (ii) of that sub-regulation shall be regarded as terminal leave and shall not be construed as extension of service.

(vi) Insert after regulation 32, the following as regulation 32A.

"32A Cash payment in lieu of leave beyond the date of retirement or quitting of service.

(1)(a) Where an employee retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall suo moto issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at the credit of the employee on the date of his retirement or superannuation, subject to a maximum of 240 days.

(b) The cash equivalent under clause (a) shall be payable in one lump sum as a one-time settlement.

(2) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the cash of an employee who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or

while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the view of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings against him. On conclusion of the proceedings, he will become eligible to the amount so withheld after adjustment of Port Trust dues, if any.

(3)(a) Where the service of an employee has been extended, in the interest of service beyond the date of his retirement, he may be granted—

(i) during the period of extension, any earned leave due in respect of the period of such extension plus the earned leave which was at his credit on the date of his retirement subject to a maximum of 120 days or 240 days as the case may be, as prescribed in regulation 24.

(ii) after expiry of the period of extension, cash equivalent in the manner provided in sub-regulation (2) in respect of earned leave at credit on the date of retirement, plus the earned leave earned during the period of extension, reduced by the earned leave availed of during such period, subject to a maximum of 240 days.

(b) The cash equivalent payable under sub-clause (ii) of the clause (a) of this sub-regulation shall be calculated in the manner indicated in clause (b) of sub-regulation (1) above.

(4) An employee who retires or is retired from service in the manner mentioned in clause (c) of sub-regulation (1), may be granted, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of the leave salary in respect of earned leave at his credit subject to a maximum of 240 days and also in respect of all the half-pay leave at his credit provided this period does not exceed the period between the date on which he so retires or is retired from service and the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent shall be equal to the leave salary as admissible for earned leave and/or equal to the half- pay leave plus dearness allowance admissible on that leave salary for the first 240 days, at the rates in force on the date the employee so retires or is retired from service. The pension and pension equivalent of other retirement benefits on pension shall be deducted from the leave salary paid for the period of half-pay leave, if any, for which the cash equivalent is payable. The amount so calculated shall be paid in one lump sum as a one-time settlement. No House Rent Allowance or City Compensatory Allowance shall be payable :

Provided that if leave salary for the half-pay leave component falls short of pension and other pensionary benefits, cash equivalent of half-pay leave shall not be granted.

(5) Where an employee is compulsorily retired as a measure of penalty under the provisions of the Bombay Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1976, and the disciplinary authority has not imposed any reduction in the amount of his pension under Rule 8 of the Bombay Port Trust Pension Rules, the authority competent to grant leave shall issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at credit of the employee on the date of such retirement, subject to a maximum of 240 days in the manner indicated in clause (b) of sub-regulation (2).

(6) (a) (i) Where the services of an employee are terminated by notice or by giving pay and allowances in lieu of notice or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date on which he ceases to be in service subject to a maximum of 240 days;

(ii) If an employee resigns or quits service, he may be granted by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of cessation of service to the extent of half of such leave at his credit, subject to a maximum of 120 days;

(iii) An employee who is re-employed after retirement may, on termination of his re-employment, be granted by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment subject to a maximum of 240 days, including the period for which encashment was allowed at the time of retirement,

(b) The cash equivalent payable under clause (a) shall be calculated in the manner indicated in clause (b) of sub-regulation (2) and for the purpose of computation of cash equivalent under sub-clause (iii) of clause (a), the pay on the date of the termination of re-employment shall be the pay fixed in the scale of post of re-employment before adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits, and the dearness allowance appropriate to that pay."

955 GI/98-2.

(vii) Renumber the existing Regulation 32A as 32B.

(viii) In Regulation 33-Leave Salary—

(a) in sub-regulation (1), the existing Note shall be deleted, and the following shall be inserted thereafter as Note.

"Note : In respect of any period spent on foreign service out of India, the pay which an employee would have drawn if on duty in India but for foreign service out of India shall be substituted for the pay actually drawn while calculating leave salary."

(b) for the existing sub-regulation (6) substitute the following :

"(6) If during such re-employment an employee is granted leave earned by him during the period of re-employment, the leave salary shall be based on the pay drawn by him exclusive of the pension and pension equivalent of other retirement benefits."

(ix) In column (2) of the table under the First Schedule at :—

(a) Sl. No. 1 for the words and figure on a pay scale the maximum of which (exclusive of allowances) exceeds Rs. 1,900 the words "the maximum of the pay scale attached to the post of Assistant Secretary (Sr.) or an equivalent post" shall be substituted.

(b) Sl. No. 2 for the words and figure on a pay scale the maximum of which (exclusive of allowances) does not exceed Rs. 1,900 the words "posts not covered by Sl. No. 1 above" shall be substituted.

(c) Sl. No. 3 for the words and figure on a pay scale the maximum of which (exclusive of allowances) exceeds Rs. 806 the words "the maximum of the pay scale attached to the post of Junior Assistant or an equivalent post" shall be substituted.

(d) Sl. No. 4 for the words and figure on a pay scale the maximum of which (exclusive of allowances) does not exceeds Rs. 806 the words "posts not covered by Sl. No. 3 above" shall be substituted.

[F. No. PR-12016/44/94/PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The Principal Regulations were published in the Maharashtra Government Gazette on 21-8-75 and the regulations were subsequently amended vide Notifications published in Gazetted of India on 10-05-80 and 17-01-81.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998